AMENDED MES GUIDELINES FOR GOVT. ITIs

प्रेषक

निदेशक, औधोगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

सेवा मे

सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
हरियाणा राज्य

यादी कमांकः T-2/STT /2007/ MES
दिनांकः–1.9.08

विषय :– Skill Development Initiatives (SDI) स्कीम के तहत Modular Employable Skill (MES) courses चलाने बारे –amendements regarding Advance Modules.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमांक T-2/STT /2007/ MES दिनांक 7.4.08 अनुसार जारी की गई गाईडलाईन्ज़ के संदर्भ में संशोधित गाईडलाईन्ज़ निम्नानुसार जारी की जाती हैं।

सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनकी सोसाईटीज़ का गठन हो चुका है या जिन संस्थानों की सोसाईटीज़ का गठन निकट भविष्य में किया जाना है, वह DGE&T द्वारा निर्धारित MES courses self-financing basis पर चला सकते हैं जिसकी गाईडलाईन्ज़ निम्न प्रकार से हैः–

Objective of the Scheme:- Poor and less educated persons can not afford long term training programs due to higher entry qualifications, opportunity cost, lack of incentives etc. Therefore, this new framework for skill development for the informal sector has been evolved by DGE&T.

Target Groups

i. Early school droup-outs and un-employed.
ii. Workers seeking skill upgradation.
iii. Workers seeking certification of skills acquired informally.

अब विभाग द्वारा इस स्कीम के तहत MES Courses चलाने हेतु नई रिवाईज़ड इम्पलीमेंटेशन पोलीसी बनाई गई है । नई रिवाईज़ड पोलीसी अनुसार निम्न मोडयूलर कोर्सिज़ चलाये जाने हैंः–

1. MES Package
2. MES Modules

1. <u>MES Modules</u> : DGE&T द्वारा निर्धारित मोडयूल्ज़ में से <u>कोई भी मोडयूल्ज़</u> संस्थान द्वारा चलाये जा सकते हैं। डी0जी0ई0एण्ड टी0 द्वारा प्रत्येक सैक्टर के MES modules को तीन categories में रखा गया है – level-I, level-II & level-III. अधिकतर level-II / level-III MES couses में प्रशिक्षण लेने हेतु छात्र का level-I / level-II का MES couses में पास होना अनिवार्य है।

The latest list of MES modules as prescribed by DGE&T is hereby attached as Annexure- 'A'. However, list of MES modules is also available on DGE&T website which is being updated from time to time by adding new modules.

a) MES Modules की अवधि DGE&T द्वारा निर्धारित अवधि अनुसार ही होगी जिन्हे part time/weekend basis पर 15 घण्टे प्रति सप्ताह के हिसाब से ITIs द्वारा चलाया जाये ।

b) **Admission Schedule**:

संस्थान हर MES Module की समाप्ति उपरान्त दाखिला अपने स्तर पर करेगा ।

c) **Eligiblity Criteria:**

As per eligiblity criteria prescribed by DGE&T and given in **Annexure 'A'**

2. MES Package : विभाग द्वारा डी0जी0ई0एण्ड0टी0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित MES Modules में से अलग–अलग मोडयूलज़ को इकट्ठा करके sector-wise packages बनाए गये है जिनका विवरण एवं गाईडलाईन्ज़ अनुपालना हेतु उक्त संदर्भित पत्र अनुसार पहले भेजी जा चुकी हैं ।

GENERAL INSTRUCTIONS :-

1. संस्थान मे CTS Scheme के अर्न्तगत जो व्यवसाय चलाये जा रहें है, उस सैक्टर/व्यवसाय से सम्बन्धित MES Package / MES Modules के दो यूनिट (one unit Morning तथा one unit Evening) प्रति वर्कशाप Part-Time basis पर चलाये जाए। दोनो यूनिट MES Package के अथवा दोनो यूनिट MES Modules के अथवा एक यूनिट MES Package तथा एक यूनिट MES Module का चलाया जा सकता है

2. DGE&T द्वारा निर्धारित सलेबस को ही follow किया जाये जोकि DGE&T की website पर उपलब्ध है ।

3. **MES Modules** में दाखिले के लिए **minimum age limit as given in Annexure 'A'** होगी ।

4. Batch size 20 Trainees का होगा तथा यदि नया **Batch** चलाना **financial viable** न हो, तो **Batch size** को **20%** बढाया जा सकता है,

5. यदि निर्धारित **batch size** मे **80%** से कम दाखिला हो तो संस्थान **financial viability** को देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय लेगा कि **batch** चलाना है या नही तथा तदानुसार अनुदेशको को अदा किये जाने वाला **honorarium pro-rata basis** पर नियत किया जाये। परन्तु **batch** मे 50% से कम **trainees** नही होने चाहिए ।

6. Fee Structure: MES Modules के लिए फीस निम्न प्रकार से चार्ज की जाएगी ।

   - 90 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 500/–रू0 प्रति मोडयूल ।
   - 91 से 180 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 1000/–रू0 प्रति मोडयूल ।
   - 181 से 270 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 1500/–रू0 प्रति मोडयूल।
   - 270 घण्टे से अधिक अवधि वाले Modules के लिये फीस 2000/–रू0 प्रति मोडयूल होगी (परन्तु यह फीस पूरे MES Package पर लागू नहीं होगी)

   MES Package के प्रत्येक module के लिए उपरोक्त आघार पर फीस चार्ज की जाएगी जैसाकि MES Package की संलग्न सूची में दर्शाया गया है (Annexure A) ।

   - SC/ST category के छात्रों को प्रशिक्षण फीस में 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

7. **Assessing Bodies:** डी0जी0ई0 एंड टी ने MES Courses के छात्रो को assess करने हेतू Assessing Bodies निर्धारित की है । Advanced Modules एवं package में वर्णित सभी मोडयूल्ज़ के छात्रों का Testing & Certification (Modulewise) डी0जी0ई0एण्ड0टी भारत सरकार द्वारा निर्धारित assessing bodies as conveyed by DGE&T vide order dated 9.7.08 (सूची संलग्न) से करवायें ताकि छात्रों को राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके ।

8. **Testing & Certification** हेतु Assessing Bodies द्वारा संस्थान के माध्यम से छात्रों से प्रति मोडयूल 500–800/–रू0 अतिरिक्त फीस चार्ज की जायेगी जोकि पासशुदा छात्रों के लिये सम्बन्धित संस्थान को डी0जी0ई0एण्ड0टी0 द्वारा re-imburse की जायेगी परन्तु इसके लिये सम्बन्धित संस्थान जिनमें MES courses के तहत छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, का Vocational Training Providers (VTP) रजिस्टर होना अनिवार्य है ।

(Retail, Hospitality and Banking & Accounting Sector के लिए फीस डी0जी0ई0एण्ड0टी0 द्वारा 500/–रू0 निर्धारित की गई है)

9. <u>VTP Registration</u>:- MES Scheme के तहत जिन ITIs मे प्रशिक्षण दिया जाना है/दिया जा रहा है, उन्हे Vocational Training Providers (VTPs) कहा जाएगा

a) यदि संस्थान VTP (Vocational Training Provider) रजिस्टर हो चुका हो तो जो छात्र Registered VTP से प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरान्त Assessing Agencies से टेस्ट <u>पास</u> करेगा उस छात्र से चार्ज की गई training फीस एवं Testing & certification fees संस्थान द्वारा वापिस की जाएगी । इसके बदले मे डी0जी0ई0एण्ड0टी0 द्वारा प्रशिक्षण खर्च @15/-रू0 प्रति धन्टा प्रति <u>पासशुदा</u> छात्र तथा Testing & Certification fees registered VTPs को reimburse किया जायेगा ।

b) Registered VTP (Govt. ITIs) को डी0जी0ई0एण्ड0टी0 द्वारा 3 से 10 लाख रू0 दिए जाएगे जिसे संस्थान द्वारा भविष्य मे पासशुदा छात्रो के लिए क्लेम किए जाने वाले reimbursement claims मे से adjust किया जाएगा ।

i) अब तक निम्न 18 ITIs को VTP register करवाया जा चुका है तथा इन संस्थानों को 3.00 लाख रू0 की राशि (प्रति संस्थान) आर0डी0ए0टी फरीदाबाद द्वारा रिलीज़ की जा चुकी है:–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिवाडी, अम्बाला शहर, गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, हांसी, हिसार, सिरसा, नलवा, जींद,पलवल, नरवाना, चोटाला, आदमपुर, बरवाला, नगीना ।

ii) जो संस्थान VTP Registered नही है वे **RDAT Faridabad** से अपने संस्थान को VTP Registered करवाये ।

10 <u>Maintenance of Record</u>: सभी संस्थान एम0ई0एस कोर्सिज का Account तथा छात्रो का रिर्काड अलग से maintain करे। वर्ष के अन्त मे Cumulative report IMC/Society के समक्ष प्रस्तुत करे जिसमे पूरे वर्ष का कुल revenue, कुल expenditure, Net Annual Saving तथा MES Scheme के तहत कुल जमा राशि का वर्णन हो, इस रिपोर्ट की एक कापी निदेशालय को भी भेजी जाए। पूरे वर्ष का ब्यौरा निम्न प्रकार से वर्णित हो:–

a) कुल कितने छात्रो ने प्रशिक्षण ग्रहण किया
b) कुल कितने छात्र पास हुए
c) कुल कितनी फीस जमा हुई
d) कुल कितनी फीस पासशुदा छात्रो को वापिस की गई
e) कुल कितनी फीस reimbursement द्वारा प्राप्त हुई
f) कुल Revenue= **Total fee collected -Total fee returned + reimbursement received (i.e c- d + e)**
g) कुल expenditure
h) Net Annual Savings (f-g)
i) Total Funds available under MES Account

<u>Honorarium & other Charges</u>:-

1.	Trainer	= Rs. 3000/- p.m.per running module
2.	Cashier	= Rs. 700/- p.m.per institute
3.	WSA/Peon	= Rs. 500/-p.m.
4.	Principal/G.I.Incharge	=Rs. 25/- per trainee i.e. Rs. 500/- for one complete module
5.	Consumables	=Rs. 100/- per trainee i.e. Rs. 2000/- for batch size of 20

The Honorarium is to be paid only for performing the duties outside the normal duty hours.

NOTE 1. दाखिले हेतू सम्बन्धित संस्थान MES कोर्सिज की पूर्ण डिटेल देते हुए फार्म अपने स्तर पर डिजाईन करेगें ।

2. MES Courses केवल उन्ही संस्थानों में चलाए जायें, जिन आई0टी0आईज़ की सोसाईटीज़ का गठन हो चुका है । अन्य आई0टी0आईज़, संस्थान की सोसाईटीज़ का गठन होने उपरान्त ही **MES Courses** चलाये ।

3. जिन संस्थानो की IMC का गठन हो चुका है, उन संस्थानो के Principal/Incharge अपने संस्थान की IMC की आगामी मींटिग मे इस पत्र को आवश्य प्रस्तुत करे ।

अतिरिक्त निदेशक
कृतेः निदेशक, औ0 प्रशि0 एवं व्याव0 शि0, हरि0

पृ0कमांक : T-2/STT /2007/ MES दिनांकः—1.9.08

उपरोक्त की प्रति नियन्त्रक परीक्षा अधिकारी (मुख्यालय पर) को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक
कृतेः निदेशक, औ0 प्रशि0 एवं व्याव0 शि0, हरि0